बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री सूर्यनन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर के विरूद्ध मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक–07(गो०), दिनांक–20.05.2016 द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के अंतर्गत वित्तीय अनियमितता करने के संबंध में आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित कर श्री प्रसाद को निलंम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई। प्रपत्र 'क' में यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रसाद ने प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में श्री अनन्त वीर, सांख्यिकी संगणक, मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना को माह– जनवरी, 2015 से माह– जून, 2015 तक कोई कार्य आवंटित नहीं किया और उन्हें वेतन देते रहे जिससे सरकार को वित्तीय हानि हुई। श्री प्रसाद का यह कृत्य बिहार वित्त नियमावली के नियम–9(i) के तहत वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का उल्लंघन एवं उनकी स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

2. मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–1388, दिनंक–13.06.2016 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री सूर्यनन्दन प्रसाद से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सूर्यनन्दन प्रसाद ने अपना स्पष्टीकरण कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर के पत्रांक–301, दिनांक–29.10.2016 द्वारा समर्पित किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि श्री अनन्त वीर को विभिन्न अंचल कार्यालय से प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों को त्रैमासिक रूप से संकलित करने एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों का त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन, जो कनीय सांख्यिकी संगणकों द्वारा तैयार किया जाता है, का सुपरविजन करने का मौखिक आदेश दिया गया था। श्री प्रसाद ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया कि यह आरोप पत्र डॉ० एस० बी० सिंह एवं उनके बीच चल रहे मुकदमे के कारण गठित किया गया है।

3. श्री सूर्यनन्दन प्रसाद के स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत सक्षम प्राधिकार के आदेश पर श्री अनन्त वीर से यह सम्पुष्ट करने के लिए की क्या उक्त अवधि में उन्हें कार्य आवंटित करने का कोई मौखिक या लिखित आदेश मिला था और अगर उन्होंने उक्त अवधि में कोई कार्य किया हो तो उसके प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्रांक–3363, दिनांक–09.12.2016 द्वारा श्री अनन्त वीर से लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री अनन्त वीर के अपने लिखित अभिकथनों दिनांक–21.12.2016 एवं दिनांक–15.06.2017 में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा बार–बार मौखिक एवं लिखित आग्रह के बावजूद श्री प्रसाद द्वारा उन्हें कार्य आवंटित नहीं किया गया एवं कार्य आवंटन की मांग हेतु श्री प्रसाद को सौंपे गये पत्र की द्वितिय प्रति/साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध नहीं है।

4. श्री अनन्त वीर के लिखित अभिकथनों के आलोक में श्री सूर्यनन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर के विरूद्ध विभागीय स्तर पर 02 आरोपो में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2275, दिनांक–28.08.2017 एवं पत्रांक–2526, दिनांक–20.09.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 नियम–19 के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सूर्यनन्दन प्रसाद ने अपना स्पष्टीकरण कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर पत्रांक–246, दिनांक–04.10.2017 द्वारा समर्पित किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि श्री अनन्त वीर ने मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार के कार्यालय में योगदान दिया, उसी समय उन्होंने स्वयं के सहयोग के लिए श्री अनन्त वीर को अपने साथ रख कर उनसे सहयोग लिया जाता था। इस कारण श्री अनन्त वीर द्वारा कार्य आवंटन हेतु कभी कोई मौखिक या लिखित आपत्ति दर्ज नहीं की। श्री सूर्यनन्दन प्रसाद ने अपने

स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि श्री अनन्त वीर ने उनके विरूद्ध अपना लिखित आरोप दिनांक–27.08.2015 को उनके द्वारा दिनांक–19.06.2015 को मुख्य कारखाना निरीक्षक का प्रभार के त्याग करने के दो माह पश्चात् दिया। इससे यह स्पष्ट है कि यह आरोप दुर्भावनावश एवं डॉ० एस० बी० सिंह, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार के दवाब में लगाया गया है।

5. श्री सूर्यनन्दन प्रसाद के स्पष्टीकरण की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण यद्यपि पूर्णतः संतोषजनक नहीं पाया गया, तथापि चूकि श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप बहुत गंभीर प्रकृति का नहीं है एवं इसकी सम्भावना हो सकती है कि कारखाना निरीक्षणालय के विभिन्न पदाधिकारियों के बीच आपसी वैमनस्य के कारण उनके प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद से स्थानांतरण के बाद उक्त पत्र दिलवाया गया हो। साथ ही श्री प्रसाद की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक–31.12.2018 को ध्यान में रखते हुए श्री प्रसाद को भविष्य के लिए सचेत करते हुए इस मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव श्री सूर्यनन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर को भविष्य के लिए सचेत करते हुए उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सूर्यनन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 27/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 27/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 27 / 2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, पटना / जिला पदाधिकारी, वैशाली / कोषागार पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 27 / 2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री सूर्यनन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 27 / 2016 श्र०सं०– 3421 पटना, दिनांक– 29/11/2017
प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना / विशेष सचिव / अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1,2 एवं गोपनीय चारित्री / सभी उप सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / लोक सूचना पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष) / आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/17
सरकार के उप सचिव
29/11/17